

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:—प.10(1)नविवि/3/2013


जयपुर, दिनांक : 7 JUN 2021

आदेश

अजमेर मास्टर प्लान-2033 के संबंध में नगरीय विकास विभाग में प्रेषित आपत्तियों में उल्लेखित तथ्यों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है: —

1.	संयुक्त शासन सचिव—प्रथम नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) कार्यालय मुख्य नगर नियोजक	संयोजक
3.	उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
4.	उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
5.	निदेशक (आयोजना), अजमेर विकास प्राधिकरण	सदस्य

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
  
(मनीष गन्गुल)  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) राज. सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य नियोजक (पूर्व), कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
7. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
8. निदेशक (आयोजना), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम